

जनसंपर्क कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

14 फरवरी, 2025

सीएसएसआई, जेएमआई ने दो दिवसीय “जेंडर सेंसिटाइजेशन” कार्यशाला आयोजित की; पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ने मुख्य भाषण दिया

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2025: जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सामाजिक समावेश अध्ययन केंद्र (सीएसएसआई) ने आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) और डीन छात्र कल्याण कार्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सहयोग से दो दिवसीय “जेंडर सेंसिटाइजेशन” कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जो 13 फरवरी, 2025 को विश्वविद्यालय के एफटीके-सीआईटी हॉल में शुरू हुई। कार्यशाला का उद्देश्य लैंगिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, समावेशिता को बढ़ावा देना और लिंग संबंधी अधिकारों और नीतियों की कानूनी समझ को मजबूत करना था। कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मुजीबुर रहमान और डॉ. अरविंद कुमार थे, जो सीएसएसआई, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रख्यात विद्वान और संकाय सदस्य हैं। कार्यक्रम का समन्वय डॉ. मसरूर और श्री शेख मोहम्मद फरहान ने किया।

इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ उपस्थित थे, साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक (सेवानिवृत्त) भी मौजूद थे। यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. आर. मनोज कुमार इस सत्र में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने सीएसएसआई की पहल की प्रशंसा करते हुए बधाई संदेश भेजा।

उद्घाटन सत्र की शुरुआत सीएसएसआई की निदेशक प्रोफेसर तनुजा के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने समानता सुनिश्चित करने में भारतीय संविधान की भूमिका पर भी जोर दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि लैंगिक न्याय पूरे समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने समावेशिता को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया, जिसे यूजीसी और एनईपी दोनों ने मान्यता दी है।

अपने मुख्य भाषण में न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 जैसे संवैधानिक प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और लैंगिक अधिकारों की सुरक्षा में राज्य की जिम्मेदारी को मजबूत किया। उन्होंने विशाखा दिशा-निर्देश, पॉश अधिनियम और धारा 377 के गैर-अपराधीकरण सहित ऐतिहासिक मामलों और कानूनी प्रगति का हवाला दिया, जिसने लैंगिक न्याय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन बिंदुओं पर आगे बढ़ते हुए, कुलपति के विशेष कार्याधिकारी डॉ. सत्य प्रकाश ने सिमोन डी ब्यूवॉयर के प्रसिद्ध कथन का संदर्भ दिया, “कोई महिला के रूप में पैदा नहीं होता है, बल्कि एक महिला बन जाता है”, सामाजिक पोषण प्रथाओं और लैंगिक संवेदनशीलता प्राप्त करने में ज्ञान और शिक्षा की भूमिका की फिर से जांच करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कुलपति प्रो. मजहर आसिफ ने पवित्र कुरान से सूरह अल-निसा का हवाला देते हुए कहा कि हर बच्चा एक इंसान के रूप में पैदा होता है और लैंगिक विभाजन सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक शास्त्र महिलाओं के सशक्तिकरण की वकालत करते हैं, लेकिन व्यवहार में इन सिद्धांतों को अक्सर अनदेखा किया जाता है। उन्होंने आगे चिंता व्यक्त की कि शिक्षित व्यक्ति कभी-कभी अपने कार्यों में पाखंड प्रदर्शित करते हैं। प्रो. आसिफ ने साझा किया कि जामिया ने महिलाओं को प्रशासनिक पदों पर सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है और आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय लैंगिक असमानता से संबंधित किसी भी चिंता का समाधान करेगा।

प्रो. नीलोफर अफजल – डीन छात्र कल्याण ने संवैधानिक प्रावधानों की मौजूदगी को स्वीकार करते हुए कार्रवाई का आह्वान किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि अकेले कानून गहरी जड़ें जमाए हुए

मानसिकता को नहीं बदल सकते। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सच्ची लैंगिक समानता हासिल करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है।

डॉ. अरविंद कुमार ने विशेष अतिथि, यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. आर. मनोज कुमार का संदेश पढ़ा, जिन्होंने “सबका साथ, सबका विकास” (सामूहिक प्रयास, समावेशी विकास) के सामूहिक प्रयास में सभी हितधारकों को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

पहले तकनीकी सत्र की शुरुआत प्रो. चारु गुप्ता ने पारंपरिक चिकित्सा में महिलाओं के योगदान के बारे में ऐतिहासिक जानकारी देते हुए की, जिसमें यशोदा देवी के काम पर ध्यान केंद्रित किया गया। डॉ. अनामिका प्रियदर्शिनी ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण के रूप में सामाजिक पूंजी पर चर्चा की, जबकि डॉ. हेम बोरकर ने मद्रास शिक्षा में लड़कियों के बीच शैक्षिक आकांक्षाओं पर अपना शोध प्रस्तुत किया।

दूसरे तकनीकी सत्र में लैंगिकता, स्थान और अंतर्संबंध पर चर्चा की गई। प्रो. कुलविंदर कौर ने लैंगिक-समावेशी सार्वजनिक स्थानों की आवश्यकता और दलित तथा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर जोर दिया। डॉ. स्मिता एम. पाटिल ने दलित-बहुजन दृष्टिकोण से जाति और लिंग का विश्लेषण किया, तथा शक्ति असंतुलन पर प्रकाश डाला। पिंक लिस्ट इंडिया के अनीश गावंडे ने डिजिटल स्थानों में LGBTQ+ वकालत के बारे में बात की, तथा मिस कायालविझी ने बाल विवाह, बाल यौन शोषण और मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए महिलाओं के लिए शैक्षिक स्थानों को पुनः प्राप्त करने की रणनीतियों पर चर्चा की।

सत्र का समापन डॉ. अरविंद कुमार द्वारा दिये गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जिसके बाद एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें लैंगिक पूर्वाग्रहों को समाप्त करने में सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रतिभागियों ने वास्तविक लैंगिक समावेशिता प्राप्त करने में नीति सुधारों और समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के महत्व पर बल दिया।

यह कार्यशाला जागरूकता बढ़ाने और लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में चर्चा को बढ़ावा देने, संस्थाओं और व्यक्तियों को समान रूप से अधिक समावेशी समाज की वकालत करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया